

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (क्षेत्र संकार्य प्रभाग)
ऑचलिक कार्यालय, लखनऊ
दूरभाष (0522)-2738874, 2960425
ई-मेल : zo.cz-fod@nic.in, fodzo.cz@gmail.com



Government of India
Ministry of Statistics & Programme Implementation
National Sample Survey Office (Field Operations Divisions)
Zonal Office, Lucknow
Tel: (0522)-2738874, 2960425
E-Mail : zo.cz-fod@nic.in, fodzo.cz@gmail.com

संदर्भ संख्या /Ref. no. H-22014/POSH Act-2013/CZ/Lko/2023-2025 (E.60539)/324-332 दिनांक /Date :- 13.09.2023

कार्यालय आदेश

प्रभाग, दिल्ली के पत्र संख्या H-13016/2/2023-O&M(E.58473) दिनांक 09.06.2023 में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम-2013 के अर्न्तगत प्राप्त होने वाली शिकायतों के निवारण हेतु ऑचलिक कार्यालय, लखनऊ में निम्नानुसार "Internal Complaint Committee (ICC)" का गठन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	पदस्थ स्थल	पद
1.	सुश्री स्नेह कीर्ति	उप निदेशक	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.) क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।	पीठासीन अधिकारी
2.	सुश्री पूजा सिंह	वरि.सां.अधिकारी	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.) ऑचलिक कार्यालय, लखनऊ।	सदस्य
3.	सुश्री शांभवी मिश्रा	सहायक प्रोफेसर	सांख्यिकी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य
4.	श्री विनोद कुमार यादव	वरि.सां.अधिकारी	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.) ऑचलिक कार्यालय, लखनऊ।	सदस्य सचिव

2. उपर्युक्त समिति के सभी नामित सदस्य एवं पीठासीन अधिकारी इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन वर्ष तक अथवा अग्रिम आदेशों (जो भी पहले हो) तक The sexual Harassment of Women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act-2013 (No.14 of 2013) के अनुसार अपने दायित्वों का अनुपालन करेगी।


3. यह समिति यौन उत्पीड़न के संबन्ध में अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों पर विचार करेगी। यौन उत्पीड़न से तात्पर्य निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक अवांछनीय प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कृत्य सम्मिलित हैं:-

- शारीरिक सम्पर्क या उसकी कोशिश या /physical contact and advances; or
- यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध या /a demand or request for sexual favours; or
- यौन आधारित टिप्पणियों करना या /making sexually coloured remarks; or
- अश्लील साहित्य दिखाना या /showing pornography; or
- यौन प्रकृति का कोई अन्य शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण /any other physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature,

(क्रमशः 2)


04. समस्त प्रभारी वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को समस्त स्टाफ विशेषकर महिला अधिकारियों/कर्मचारियों के संज्ञान में लायें।

उप महानिदेशक, ऑचलिक कार्यालय, लखनऊ के अनुमोदन से जारी।


(डॉ. सचिन कुमार यादव)
उप निदेशक

प्रतिलिपि:-

01. समिति के पीठासीन अधिकारी एवं समस्त पदाधिकारीगण।
02. उप महानिदेशक, रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.) क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
03. विभागाध्यक्ष, सांख्यिकीय विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
04. निदेशक (प्रशा./ओ.एण्ड.एम.), रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.) प्रभाग, दिल्ली - कृपया सूचनाार्थ।
05. निजी सचिव, उप महानिदेशक, (ऑचलिक), रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), ऑचलिक कार्यालय, लखनऊ।
06. नोटिस बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय, लखनऊ।


(डॉ. सचिन कुमार यादव)
उप निदेशक